UPLK010084772021

न्यायालय Additional District and Sessions Judge Court No 5, Lucknow

पीठासीन अधिकारी– (Umakant Jindal), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP06234**

Civil Revision No -41/2021

Presented on : 24.03.2021
Registered on : 28.07.2021
Decided on : 01.04.2026
Duration : about 04 years

1. अश्वनी कुमार तिवारी, पुत्र स्वर्गीय लोक नाथ तिवारी (निधन 03.11.2018) उनके कानूनी वारिसों के माध्यम से।

1/1- श्रीमती पुष्पा तिवारी, उम्र लगभग 62 वर्ष, पत्नी- स्वर्गीय अश्वनी कुमार तिवारी।

1/2- श्रीमती शिखा त्रिवेदी, उम्र लगभग 30 वर्ष, पत्नी- विनय त्रिवेदी (अश्वनी कुमार तिवारी की विवाहित पुत्री), निवासी- ई-3235, राजाजीपुरम।

1/3- श्री अखिलेश तिवारी, उम्र लगभग 26 वर्ष, पुत्र स्व.अश्वनी कुमार तिवारी

दोनों निवासीगण- 244/25 ए, यहियागंज रोड, रकाबगंज, लोहा बाजार, लखनऊ।

2. श्री अंजनी कुमार तिवारी, पुत्र- स्व. लोक नाथ तिवारी, उम्र लगभग 57 वर्ष, निवासी- 11 काकोरी मोड़, मोहान रोड, लखनऊ।

3. श्री सनत कुमार तिवारी, पुत्र स्व 0 लोक नाथ तिवारी, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी- 355/384 जीए, ठाडी आलमनगर, राजाजीपुरम, लखनऊ।

..... निगरानीकर्ता

बनाम

1.श्री हृदय नारायण अवस्थी, पुत्र स्व० श्याम चरण अवस्थी,(निधन 16.01.2019) द्वारा विधिक वारिसान

1/1- श्रीमती मनोरमा अवस्थी, उम्र लगभग 76 वर्ष, पत्नी स्व० हृदय नारायण अवस्थी।

1/2- महेंद्र अवस्थी, पुत्र स्व० हृदय नारायण अवस्थी (मृतक)

1/2/1-श्रीमती निर्मला अवस्थी पत्नी, स्व० महेंद्र अवस्थी

1/3- श्री शैलेन्द्र अवस्थी, उम्र लगभग 52 वर्ष, पुत्र स्व० हृदय नारायण अवस्थी।

1/4- श्री कृष्णेन्द्र अवस्थी, उम्र लगभग 45 वर्ष, पुत्र स्व० हृदय नारायण अवस्थी.

सभी निवासी- 244/54, यहियागंज रोड, रकाबगंज, लोहा बाजार, लखनऊ।

2. श्रीमती मुन्नी देवी, पत्नी स्वर्गीय लोक नाथ तिवारी, (निधन 03.05.2010) द्वारा विधिक वारिसान

2/1-श्रीमती किरण देवी, पुत्री स्व० लोक नाथ तिवारी, पत्नी श्री एस०बी० द्विवेदी, निवासी- 49-अशर्फी टोला, हरदोई।

2/2- श्री अनिल शुक्ला, वयस्क, पुत्र- स्वर्गीय सुमन शुक्ला, जो स्वर्गीय लोक नाथ तिवारी की पुत्री थीं, निवासी- नैबाड़ा चौक, लखनऊ
2/3- आशीष शुक्ला, वयस्क, पुत्र अनिल शुक्ला और श्रीमती सुमन शुक्ला, निवासी नैबाड़ा चौक, लखनऊ।

.....विपक्षीगण

.....

निर्णय

1. प्रस्तुत सिविल रिवीजन सं०–41/2021, अश्विनी कुमार तिवारी व अन्य बनाम हृदय नरायण अवस्थी आदि, अंतर्गत धारा–115 सी०पी०सी०, विद्वान सिविल जज (सी०डी०) मोहनलालगंज, लखऩऊ द्वारा प्रकीर्णवाद सं०–46/2007, (हृदय नारायण अवस्थी बनाम अश्विनी कुमार तिवारी व अन्य) में पारित आदेश दिनांकित 26.02.2021 से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्तागण की ओर से योजित की गयी है। विद्वान सिविल जज (सी०डी०) मोहनलालगंज, लखऩऊ द्वारा प्रकीर्णवाद सं०–46/2007, (हृदय नारायण अवस्थी बनाम अश्विनी कुमार तिवारी व अन्य) में पारित आदेश दिनांकित 26.02.2021 के द्वारा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से दाखिल उक्त प्रकीर्णवाद में दाखिल प्रार्थना पत्र बी–3, अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा–151 सी०पी०सी० को हर्जे पर स्वीकार किया गया था। उक्त प्रश्नगत आदेश को अपास्त कराने हेतु ही निगरानीकर्तागण/मूलवाद में वादी द्वारा यह निगरानी दाखिल की गयी है।

2. निगरानी मेमो में आधार यह लिया गया है कि –

–चूंकि, प्रतिवादी ने 12.11.2004 को अपने अधिवक्ताओं श्री जे.पी. यादव और विकास मिश्रा (सी–14) के माध्यम से नियमित मुकदमे में उपस्थिति दर्ज कराई थी, अतः दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत आवेदन दाखिल करने की समय सीमा डिक्री की तारीख से शुरू होती है। इन तथ्यों और परिस्थितियों में, डिक्री को रद्द करने के लिए आदेश 9 नियम 13 के तहत आवेदन समय सीमा से बाधित था, क्योंकि याचिकाकर्ता ने आवेदन के विरोध में पैरा 10 में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था। लेकिन निचली अदालत ने बिना किसी विलंब क्षमा आवेदन के ही 100 दिनों की देरी को माफ कर दिया, जो निचली अदालत द्वारा की गई एक गंभीर क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि है। निचली अदालत द्वारा दिनांक 26.02.2021 को पारित किया गया विवादित आदेश अवैध है और कानूनी खामियों से ग्रस्त है, क्योंकि निचली अदालत ने प्रतिवादी/विपक्षी पक्षों के पक्ष में विवादित आदेश पारित करके इस प्रसिद्ध सिद्धांत का घोर उल्लंघन किया है कि जो न्याय चाहता है उसे स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। रिकॉर्ड में पर्याप्त सबूत मौजूद थे जिनसे यह स्पष्ट रूप से साबित होता था कि स्वर्गीय हृदय नारायण अवस्थी ने आर.एस. संख्या 269/2003, अश्वनी कुमार तिवारी और अन्य बनाम हृदय नारायण अवस्थी की कार्यवाही में अपने अधिवक्ताओं श्री जे.पी. यादव और विकास मिश्रा के माध्यम से भाग लिया था, जो सेंट्रल बार एसोसिएशन, सिविल कोर्ट, लखनऊ के सदस्य हैं, लेकिन प्रतिवादी/विपक्षी पक्षों ने अधिवक्ताओं की नियुक्ति के तथ्य से इनकार किया। दिनांक 28.04.2018 के आदेश के अनुसार, निचली अदालत ने वकालतनामा (सी–14) पर हृदय नारायण अवस्थी के विवादित हस्ताक्षरों पर विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के लिए प्रतिवादी के

आवेदन को स्वीकार कर लिया था, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने विवादित दस्तावेजों को फोरेंसिक लैब में भेजने के लिए आवश्यक कदम उठाने में पूरी तरह से विफल रहा और गंभीर चूक करने के बाद, उसने दस्तावेजों को फोरेंसिक लैब में भेजने के लिए एक आवेदन (सी–76) दायर किया जिसे निचली अदालत ने 09.01.2020 को खारिज कर दिया। चूंकि प्रतिवादी स्वर्गीय हृदय नारायण अवस्थी वकालतनामा (सी–14) पर अपने हस्ताक्षर को चुनौती दे रहे थे, इसलिए उन पर यह साबित करने का भारी बोझ था कि वकालतनामा पर हस्ताक्षर उनके स्वीकृत हस्ताक्षरों से भिन्न हैं, लेकिन वे इसे साबित करने में पूरी तरह विफल रहे। विवादित आदेश पारित करते समय, निचली अदालत ने उठे मुद्दे पर फैसला देने से परहेज किया है। विवादित आदेश कानून की दृष्टि में निर्णय नहीं है। प्रतिवादी ने धोखाधड़ी के आधार पर एकतरफा डिक्री को चुनौती दी थी, लेकिन उसने न तो आदेश 6 नियम 4 सी.पी.सी. के प्रावधानों का पालन किया और न ही अपने दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश किया। निचली अदालत ने विवादित आदेश पारित करते समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आदेश 9 नियम 13 में जोड़े गए प्रावधान की अनदेखी की है, इसलिए विवादित आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर है।

3. उपरोक्त निगरानी के बाबत बावजूद पर्याप्त अवसर विपक्षीगण की ओर से कोई लिखित आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है।

4. उक्त निगरानी के बाबत निगरानीकर्तागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश न्यायोचित व विधि सम्मत नहीं है, जो विधि के स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन करके पारित किया गया है। वास्तव में मूलवाद में प्रतिवादी पर समुचित सम्मन की तामील थी, और इसी वजह से दो विद्वान अधिवक्तागण विकास मिश्रा व जे०पी०यादव द्वारा प्रतिवादी से दस्तखत कराकर उसकी तरफ से पत्रावली पर वकालतनामा भी दाखिल किया गया था। प्रतिवादी जब जानबूझकर मूलवाद की पत्रावली पर नहीं आए, तब न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी थी। विद्वान अवर न्यायालय की प्रकीर्णवाद की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि, उसमें प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा वकालतनामे पर अपने दस्तखत के मिलान हेतु स्वयं विशेषज्ञ से हस्ताक्षर मिलान परीक्षण कराये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे विद्वान अवर न्यायालय द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया था, लेकिन उसके पश्चात् बिना किसी आधार के विद्वान अवर न्यायालय द्वारा स्वीकृत हस्ताक्षर व विवादित हस्ताक्षर को मिलान हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने से इंकार कर दिया गया। अर्थात् विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रकरण के मूल विवाद के निस्तारण का जो समुचित आधार था, को ही समाप्त कर दिया गया। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश अविधिक है, अतः निगरानीकर्तागण की निगरानी स्वीकार की जाकर अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश अपास्त किया जाए।

5. वहीं इसके विपरीत प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से निगरानी के विरोध में तर्क प्रस्तुत किया कि, अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश न्यायोचित व विधि सम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां यह स्पष्ट है कि, प्रतिवादी द्वारा स्वयं तामील कुनिंदा द्वारा सम्मन पर प्रतिवादी पर तामील न होने की आख्या प्रस्तुत की गयी थी और प्रतिवादी पर सम्मन तामील नहीं हो पाया। उसके बावजूद स्वयं वादी द्वारा प्रतिवादी की

तरफ से एक फर्जी वकालतनामा पत्रावली पर दाखिल करवा दिया गया, और इस संबंध में जब विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उक्त दोनों विद्वान अधिवक्तागण जे०पी०यादव व विकास मिश्रा से पूछा गया, तो उनके द्वारा यह बताया गया कि , *एक व्यक्ति उन्हें बार में मिला था, जिसके कहने पर उन्होंने यह वकालतनामा लगाया।* " अर्थात् उक्त विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बिना इस बात की तस्दीक किये कि वह व्यक्ति प्रतिवादी था या नहीं, प्रतिवादी की तरफ से वकालतनामा पत्रावली पर लगा दिया, जो स्वतः इस बात को स्पष्ट करता है कि वादी द्वारा षड्यंत्र के तहत उक्त वकालतनामा पत्रावली पर लगाया गया। यहां महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जिस दिन मूलवाद की पत्रावली पर प्रतिवादी पक्ष की तरफ से वह वकालतनामा लगाया जाना बताया गया है, उस दिन या उसके पूर्व या उसके पश्चात् किसी भी आदेश पत्रिका पर प्रतिवादी के कोई दस्तखत नहीं हैं। विद्वान अवर न्यायालय की प्रकीर्णवाद की पत्रावली में जिस एफ०एस०एल० को प्रपत्र न भेजे जाने के आदेश से वादी/निगरानीकर्ता का व्यथित होना बताया है, उक्त आदेश के खिलाफ वादी/निगरानीकर्ता द्वारा कहीं कोई अपील या निगरानी दाखिल नहीं की गयी है। न्याय का यह सुनहरा सिद्धांत है कि, आदेश 9 नियम 13 के पुर्नस्थापन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते समय न्यायालय को लचीला रूख अपनाना चाहिए और न्यायालय को प्रकरण को आवश्यक तौर पर गुण–दोष के आधार पर निस्तारण करने का प्रयास करना चाहिए। विद्वान अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश न्यायोचित व विधि सम्मत है, अतः निगरानीकर्तागण की निगरानी निरस्त की जाकर अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश पुष्ट किया जाए। प्रत्यर्थी की ओर से अपनी मौखिक आपत्ति के समर्थन में निम्न विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी है,

1. 2007 (3) AWC 2385 Smt Risalo (D) through L.Rs Vs IInd A.D.J. Ghaziabad and ors., 20.03.2007
2. 2025 (167) RD 760, Dwarika Prasad (D) through LRs Vs Prithvi Singh, 20.12.2024
3. 2019 (144) RD 708, Bhivchandra Shankar more Vs Balu Gangaram more and ors., 07.05.2019

6. न्यायालय द्वारा निगरानीकर्तागण व विपक्षी/प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस को सुना व निगरानी पत्रावली, प्रकीर्णवाद की पत्रावली व मूल पत्रावली का अवलोकन किया।

<u>निष्कर्ष</u>

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि निगरानीकर्तागण द्वारा यह सिविल रिवीजन, विद्वान सिविल जज (सी०डी०) मोहनलालगंज, लखऩऊ द्वारा प्रकीर्णवाद सं०–46/2007, (हृदय नारायण अवस्थी बनाम अश्विनी कुमार तिवारी व अन्य) में पारित आदेश दिनांकित 26.02.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश के माध्यम से विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वाद में प्रार्थी/प्रत्यर्थी की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र बी–3 अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा–151 सी०पी०सी० को स्वीकार कर मूलवाद सं०–269/2003 में पारित प्रश्नगत एकपक्षीय निर्णय दिनांकित 19.09.2006 को अपास्त कर मूलवाद को उसके मूल नम्बर पर पुर्नस्थापित किये जाने का आदेश पारित किया गया था। अतः निगरानीकर्तागण द्वारा उक्त आदेश दिनांकित 26.02.2021 को उपरोक्त सिविल निगरानी के माध्यम से अपास्त

कराने की याचना की गयी है। उपरोक्त निगरानी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश के अनुपालन में इस न्यायालय में स्थानांतरित होकर प्राप्त हुई है।

8. सुनने व पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित किए जाने में अपना यह निष्कर्ष पारित किया गया है कि, –

" उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागणों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मामले में जहाँ एक ओर प्रार्थी की ओर से यह कथन किया जा रहा है कि उन्हें उक्त एकपक्षीय आदेश दिनांकित 19.09.2006 की जानकारी नहीं थी। जबकि यह भी तर्क व्यक्त किया जा रहा है कि मूल पत्रावली पर दाखिल दस्तावेज डी–12/1 सम्मन से भी स्पष्ट है कि उनपर तामील पर्याप्त नहीं था वहीं दूसरी ओर विपक्षी की ओर से अनेकों तर्क व्यक्त किये गये जिसमें मुख्य रूप से यह तर्क व्यक्त किया गया कि प्रतिवादी की ओर से उनके अधिवक्तागण जे०पी० यादव तथा विकास मिश्रा द्वारा पत्रावली पर वकालतनामा दाखिल किया गया था। ऐसे में उन पर तामील पर्याप्त है। जबकि विपक्षी द्वारा यह तर्क भी व्यक्त किया गया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में यह वर्णित किया गया है कि उन्हें उक्त आदेश की जानकारी उनके किरायेदार शाकिर अली द्वारा दी गयी निर्णय की प्रति से हुयी है। ऐसे में उन्हें उक्त निर्णय की प्रति पत्रावली पर दाखिल करनी चाहिए थी तथा शपथपत्र दाखिल करना चाहिए था। जबकि प्रार्थनापत्र के पैरा 4 पर फॉड के सम्बंध में किये गये कथन पर कठोर आपत्ति करते हुये यह तर्क व्यक्त किया कि फॉड के मामले को प्रार्थी द्वारा स्पष्ट करना चाहिए था कि किस प्रकार किसके द्वारा क्या फॉड किया गया तथा प्रार्थी द्वारा फ्रॉड के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी थी भी प्रार्थनापत्र में स्पष्ट नहीं है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह भी व्यक्त किया गया कि मामले में न्यायालय द्वारा प्रार्थी के अधिवक्तागण को नोटिस जारी की गयी थी जो पत्रावली पर दाखिल दस्तावेज सं–27 है जिसमें अधिवक्ता द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि उनसे एक व्यक्ति मिला था जिसने उन्हें अपना अधिवक्ता नियुक्त किया था। इसके अलावा भी विपक्षी की ओर से अनेकों आपत्तियों की गयी है जैसे प्रार्थी को अपने प्रार्थनापत्र में मामले के गुणदोष पर प्रहार नहीं करना चाहिए था बल्कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 के सुसंगत प्रावधानों के तहत सम्मन की तामील न होने के सम्बंध में ही अपना पक्ष रखना चाहिए था। यह भी तर्क व्यक्त किया गया कि न्यायालय के ऊपर प्रार्थी को प्रश्नचिन्ह नहीं लगाना चाहिए था। एक अन्य महत्त्वपूर्ण तर्क विपक्षी द्वारा यह भी किया गया कि मामले में एक्सपर्ट ओपीनियन का प्रार्थनापत्र स्वीकृत हुआ था परन्तु प्रार्थी द्वारा मामले में पैरवी न किये जाने पर एक्सपर्ट ओपीनियन कि उक्त वकालतनामे पर हृदय नारायन अवस्थी के ही हस्ताक्षर है अथवा नहीं पैरवी न करने से आख्या न्यायालय प्रेषित नहीं की गयी। जबकि विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क व्यक्त किया गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 में न्यायालय को भी यह शक्ति प्राप्त है कि वह हस्ताक्षर का मिलान स्वयं कर सकता है।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा मामले में अनेकों तर्क प्रस्तुत किये गये हैं। उपरोक्त के सम्बंध में क्रमबद्ध रूप से विचार करने से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उठाया गया यह तर्क कि प्रार्थी को अपनी जानकारी के स्रोत को स्पष्ट करना चाहिए था तथा उसका शपथपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, एक मजबूत तर्क नहीं है क्योंकि प्रार्थी द्वारा उक्त कथन के माध्यम से मात्र यह स्पष्ट किया गया है कि उसे उक्त तथ्य की जानकारी कहाँ से हुयी। जहाँ तक प्रार्थी द्वारा लगाये गये इस आरोप का प्रश्न है कि वादीगण द्वारा छल कारित कर उ आदेश पारित कराया गया है।

इस सम्बंध में कार्यवाही किया जाना या न किया जाना यह प्रार्थी की इच्छा पर भी निर्भर करता है। ऐसे में यह आवश्यक नहीं है कि उसे हर मामले में फॉड की कार्यवाही को आगे बढ़ाना ही चाहिए। विपक्षी द्वारा उठायी गयी यह आपत्ति प्रार्थी द्वारा अधिवक्ता नियुक्त किया गया था तथा अधिवक्ता को नोटिस जारी की गयी तथा उनके द्वारा अपना कथन सी–27 पत्रावली पर दाखिल किया गया है। उक्त कथन के पठन से ही यह स्पष्ट नहीं होता है कि वास्तव में हस्ताक्षर प्रार्थी द्वारा ही किये गये हैं क्योंकि अधिवक्ता द्वारा बिना प्रार्थी की पहचान लिये ही वकालतनामा पर साइन कराये गये हैं। ऐसे में अधिवक्तागण के द्वारा दाखिल जवाब से भी इस तथ्य की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि क्या वास्तव में प्रार्थी द्वारा ही प्रस्तुत मामले में वकालतनामा दिया गया था। जहाँ तक मामले में एक्सपर्ट ओपीनियन का प्रश्न है यह निर्विवाद है कि मामले में एक्सपर्ट ओपीनियन का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया था तथा कार्यवाही न हो पाने के कारण उक्त कार्यवाही को दिनांक 09.01.2020 को न्यायालय द्वारा स्वयं निरस्त कर दिया गया। जबकि प्रार्थी अपने दस्तखत को न्यायालय के माध्यम से एक्सपर्ट ओपीनियन हेतु प्रेषित करना चाहता था। ऐसे में प्रार्थी द्वारा कोई गलती कारित की गयी यह निष्कर्षित नहीं किया जा सकता।

जहाँ तक विपक्षी द्वारा उठाये गये इस तर्क कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 में न्यायालय को भी यह शक्ति प्राप्त है कि वह हस्ताक्षर का मिलान स्वयं कर सकता है। इस सम्बंध में वकालतनामा पर एवं प्रार्थनापत्र पर उपलब्ध हस्ताक्षरों का प्रारम्भिक मिलान करने से इस तथ्य को स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वास्तव में प्रार्थी द्वारा ही हस्ताक्षर किये गये हैं।

प्रार्थी द्वारा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की निर्णयज विधि व्यवस्था Smt. Risalo (D) through L.Rs. Vs IInd A.D.J., Ghaziabad and others 2007 (3) AWC 2385 में अपना विश्वास व्यक्त किया गया जिसके ससम्मान अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विधि व्यवस्था के प्रावधान देरी माफी से सम्बंधित हैं परन्तु विपक्षी विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस इस तथ्य का कथन किया गया कि उन्हें देरी माफी के विषय में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं करना है। जबकि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में उक्त एकपक्षीय आदेश की जानकारी दिनांक 18.02.2007 को पहली बार होने का कथन किया गया तथा उसके द्वारा बिना विलम्ब कारित किये पत्रावली का मुआयना कराया गया तथा अन्ततोगत्वा दिनांक 24.02.2007 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 प्रस्तुत किया गया। ऐसे में उक्त विधि व्यवस्था के प्रावधान मामले में प्रासंगिक नहीं हैं। जहाँ तक प्रार्थी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था State of Haryana Vs Chandramani And others civil Appeal No. 4118 and 4119 of 1996 (Supreme Court) निर्णीत दिनांक 30.01.1996 का ससम्मानपूर्वक अवलोकन किया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि देरी माफी के प्रार्थनापत्र के निस्तारण में न्यायालय की न्याय प्रदत्त करने की मंशा होनी चाहिए न कि तकनीकी आधार पर पर्याप्त हेतुक पर विचार करना चाहिए। माननीय न्यायालय के उक्त दिशा–निर्देश का न्यायालय द्वारा सदैव ही अक्षरशः पालन किया जा रहा है। परन्तु मामले में देरी माफी के सम्बंध में तथ्य का विचारण नहीं किया जाना है ऐसे में उक्त विधि व्यवस्था के प्रावधान भी वर्तमान मामले में प्रासंगिक नहीं हैं।

इसके अलावा जहाँ तक सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 में निम्न प्रकार प्रावधानित किया गया है–

प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय डिकी को अपास्त करना किसी ऐसे मामले में जिसमें डिकी किसी प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय पारित की गयी है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के

आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिकी पारित की गयी थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि सम्मन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गयी थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चों के बारे मे, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहाँ तक डिकी उस प्रतिवादी के विरुद्ध है वहाँ तक वह अपास्त कर दी जाए, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा।

उपरोक्त विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थी द्वारा मुख्य रूप से अपना प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी०पी०सी० न्यायालय में दाखिल किया गया था। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मूलवाद स0–269/2003 अश्वनी कुमार तिवारी आदि बनाम हृदय नरायन की पत्रावली में दाखिल एकपक्षीय निर्णय की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया गया जिसमें न्यायालय द्वारा यह वर्णित किया गया है कि प्रतिवादी को जरिये न्यायालय सम्मन प्रेषित किये गये। बावजूद तामीला प्रतिवादी उपस्थित नहीं आया। जबकि प्रतिवादी के विरुद्ध दिनांक 27.04.2004 को एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गयी है। जबकि पत्रावली पर दाखिल वकालतनामा में भी तिथि तथा सूची का क्रमांकन करते वक्त शब्दों को ओवर राईट किया गया है। यह ओवर राईटिंग कि परिस्थितियों में हुयी इसके सम्बंध में कोई निष्कर्ष अवधारित नहीं किया सकता है। मामले में विपक्षी की यह आपत्ति स्वीकार योग्य है कि प्रार्थी के अपने प्रार्थनापत्र के अन्तर्गत मामले के गुणदोष को प्रार्थनापत्र में वर्णित नहीं करना चाहिए था। ऐसे में इस स्तर पर विपक्षी की आपत्ति के अनुसार मामले के गणदोष पर विचार नहीं किया जा रहा है। जबकि मामले के गुणदोष के सम्बंध में मूलवाद के निस्तारण के समय साक्ष्योपरान्त ही विचार किया जा सकता है।

विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी वाद का निस्तारण गुणदोष: के आधार पर करना चाहिए, तकनीकी आधारों पर नहीं। वाद के सम्यक न्यायनिर्णयन के लिए वाद के सभी पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है। जिससे नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का भी अनुपालन किया जा सके। वर्तमान में प्रार्थी उपस्थित आकर उक्त मूल वाद का निस्तारण गुणदोष के आधार पर कराना चाहता है। अतः समेकित तथ्यों के दृष्टिगत पक्षकारान के मध्य विवाद का निस्तारण गुणदोष के आधार पर ही किया जाना न्यायोचित है। यदि उक्त आदेश को अपास्त नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित हो सकती है जबकि विपक्षीगण को कोई अपूर्णीय क्षति कारित नहीं होगी। यद्यपि मामले के गुणदोष के आधार पर निस्तारण में विलम्ब कारित हो सकता है। जबकि विलम्ब की प्रतिपूर्ति विपक्षी को हर्जे से करायी जा सकती है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है। "

9. विद्वान अवर न्यायालय का उपरोक्त निष्कर्ष इस निगरानी न्यायालय को न्यायोचित व विधि सम्मत प्रतीत होता है, जो मामले के तथ्यों एवं परिस्थिति के प्रकाश में विधि के सुसस्थापित सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में ही न्यायोचित रूप से पारित किया गया है। मेरे द्वारा इस संबंध में मूलवाद सं०–269/2003, (अश्विनी कुमार तिवारी बनाम हृदय नारायण अवस्थी) की पत्रावली का अवलोकन किया, उक्त मूलवाद की पत्रावली में, जिसमें प्रतिवादी पर जो सम्मन जारी किया जाना बताया गया था, उस पर तामील कुनिंदा की प्रतिवादी पर सम्मन तामील न होने की आख्या प्राप्त है। अब जहां तक प्रतिवादी पक्ष की तरफ से मूलवाद में विद्वान

अधिवक्तागण जी०पी० यादव व विकास मिश्रा द्वारा प्रस्तुत किये गये वकालतनामा का प्रश्न है, तो इस संबंध में जब इन दोनों अधिवक्तागण से विद्वान अवर न्यायालय द्वारा इस बारे में पूछताछ की गयी, तो उनके द्वारा यह कहा गया कि, *" उन्हें बार में एक व्यक्ति मिला था, जिसने उन्हें अपना अधिवक्ता नियुक्त किया था। "* अर्थात् यह स्पष्ट है कि उक्त विद्वान अधिवक्तागण जी०पी० यादव व विकास मिश्रा द्वारा प्रकरण के प्रतिवादी की पहचान सुनिश्चित किये बिना, किसी भी व्यक्ति के कहने पर उक्त वकालतनामा दाखिल किया गया। मूलवाद की पत्रावली में ऐसा कोई भी सुसंगत प्रपत्र उपलब्ध नहीं है, जो इस बात को साबित करता हो कि प्रतिवादी पर सम्मन या न्यायालय द्वारा जारी किसी अन्य आदेशिका की पर्याप्त तामील हुई थी। जिस दिन प्रश्नगत वकालतनामा दाखिल किया जाना बताया गया है, उस दिन की आदेश पत्रिका पर या अन्य किसी दिवस की आदेश पत्रिका पर मूलवाद की पत्रावली में प्रतिवादी के कोई हस्ताक्षर नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के जिस प्रश्नगत आदेश दिनांकित 09.01.2020 पर आपत्ति उठायी गयी है, उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्ता द्वारा किसी भी प्रवर न्यायालय में कोई निगरानी या अपील दाखिल नहीं की गयी है। अर्थात् उक्त आदेश अंतिम आदेश था, जिसमें स्वयं निगरानीकर्ता को भी कोई पीड़ा नहीं थी, इसी कारण से उसके द्वारा किसी प्रवर न्यायालय में कोई अपील या निगरानी उक्त आदेश के विरूद्ध दाखिल नहीं की गयी।

10. न्याय का यह सुनहरा सिद्धांत है कि, **" आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा–151 सी०पी०सी० का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते समय न्यायालय को यह अत्यंत तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए, और न्यायालय का यह प्रयास होना चाहिए कि किसी मुकदमे का निस्तारण उभयपक्षों को सुनकर गुण–दोष पर करने का प्रयास किया जा सके। "** यहां यह स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी/परिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा–151 सी०पी०सी०के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते समय प्रत्यर्थी/प्रतिवादी पर हर्जा भी अधिरोपित किया गया है, ताकि निगरानीकर्ता/वादी को वाद में हुई असुविधा की भरपाई हर्जे से पूरी की जा सके। मेरे द्वारा इस संबंध में प्रत्यर्थी पक्ष द्वारा अपनी आपत्तियों के समर्थन में प्रस्तुत की गयी विधि व्यवस्थाओं का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया, उक्त विधि व्यवस्थाएं भी विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश का ही समर्थन करती हैं। अतः स्पष्ट है कि, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उक्त प्रश्नगत आदेश पारित किये जाने में कोई अविधिकता व अनियमितता संबंधी त्रुटि नहीं की है और उसके द्वारा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन करते हुए न्यायोचित आदेश पारित किया गया है।

11. उपरोक्त स्थिति में प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो जाता है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित किये जाने में अपने विधिक मस्तिष्क समुचित प्रयोग किया गया है और पत्रावली व संबंधित विधिक प्रावधानों का सम्यक् परिशीलन करते हुए ही यह प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों में एवं समस्त पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 26.02.2021 न्यायोचित व विधि सम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः निगरानीकर्ता की सिविल निगरानी निरस्त की जाकर अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांकित 26.02.2021 पुष्ट किये जाने योग्य है।

(Umakant Jindal)
ADJ-5,/ Special Judge Gansgster Court, Lucknow.

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत **सिविल निगरानी संख्या–41/2021, अश्विनी कुमार तिवारी आदि बनाम हृदय नारायण अवस्थी आदि,** निरस्त की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 26.02.2021 पुष्ट किया जाता है।

इस निर्णय की एक प्रति सम्बन्धित अवर न्यायालय में अविलम्ब नियमानुसार प्रेषित की जाए। निगरानी की पत्रावली को कार्यालय लिपिक द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के उपरांत दाखिल दफ्तर किया जाये। मूलवाद की तलबशुदा पत्रावली भी नियमानुसार वापस की जाए।

दिनांक–01.04.2026

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–5/
विशेष न्यायाधीश,गैंगेस्टर एक्ट लखनऊ,
(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP06234

यह निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करके सुनाया गया।

दिनांक–01.04.2026

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–5/
विशेष न्यायाधीश,गैंगेस्टर एक्ट लखनऊ,
(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP06234